

2026:AHC-LKO:5167-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं. - 582/2026

सतनू

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, शहरी विकास,
लखनऊ के माध्यम से एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

सतीश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चन्द्र

न्यायालय सं. - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश चंद्र को सुना गया।
2. रिट याचिका के साथ संलग्न खतौनी गाटा संख्या 1208-एसए से संबंधित है, न कि गाटा संख्या 1208 से, जिसके संबंध में यह रिट याचिका दायर की गई है। फिर भी, याचिकाकर्ता की शिकायत को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रत्यावेदन के साथ संपर्क करने की अनुमति दी जाती है ताकि उनकी शिकायत पर विचार किया जा सके।

3. निस्तारित।

(न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

22 जनवरी, 2026

एमवीएस/-

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।